

24.06.25

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली
पेशी में ली गई। वकील वादी द्वारा वादपत्र नोट प्रेष
किया गया। अतः नोट प्रेष के आधार पर वादी का
वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली जेसलधुमार होकर नम्बर से कम हो बाद
तरीख तकमील होकर टांगुल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

Prin
(दिव्या सोनी)
RAS

Wof P...
ice
an